न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 394 सन 2018

अनवान :–

1. मेधराज पुत्र ताराचन्द जाति खाती निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. ताराचन्द पुत्र कानाराम जाति खाती निवासी कानसरतहसील नोहर असल प्रतिवादी
2. नन्दलाल 3 सुभाषचन्द 4 मदनलाल 5 बुधराम 6 नेतराम पि0 ताराचन्द जाति खाती साकिन मन्दरपुरा तहसील नोहर।
7. विमला पुत्री ताराचन्द जाति खाती निवासी मन्दरपुरा तहसील नोहर।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 27.12.18

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 173/173 के खसरा न0 256 की 2.8830हैक खसरा न0 295/2 की 2.3390हैक खसरा न0 660/2 की 2.0480हैक खसरा न0 868/1 की 2.9090हैक कुल 10.1790हैक भूमि वादी के दादा कान्हाराम की अर्जित भूमि थी वादी के दादा एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पिता कान्हाराम के देहान्त होने पर उनके पुत्रो पर औद होने पर वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 को वाद भूमि विरास्तन से प्राप्त हुई है इसलिये पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 8 जो वादी की बहन है व प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी सख्या 2 ता 6 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का बराबर का हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 8 ने निवेदन किया की उसने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 के पक्ष मे किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जो शामिल मिसल है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी

संख्यां 1 के नाम से दर्ज हुई है इसलिये पैतृक सम्पति है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का बराबर का हक हिस्सा तथा वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1, 7 जो वादी की पिता/बहने है ने अपने हकों का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1, 7 ने स्वीकार किया जाकर राजीनामा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही ह व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है इसप्रकार वादी एवं प्रतिवादीगण की आपसी सहमति के आधार पर वाद काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 1,8 ने अपने हकों का त्याग किया गया है राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प डयूटी कायम की जानी उचित है।

इसप्रकार वादीगण के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा मन्दरपुरा के खाता संख्या 173/173 के खसरा न0 256 की 2.8830हैक खसरा न0 295/2 की 2.3390हैक खसरा न0 660/2 की 2.0480हैक खसरा न0 868/1 की 2.9090हैक कुल 10.1790 हैक भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 6 बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– अखरे पाचं हजार रूप्ये का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाबता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27/12/18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

Sanjay

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Web Copy - Not Official